UPM0010002872010

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश,

कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियाँ, (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP 2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–109 / 2010

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष

बनाम

कुलदीप सिंह पुत्र कृपा सिंह, निवासी ग्राम जगरमपुरा, थाना मूढांपाण्डे जिला मुरादाबाद।

.... अभियुक्त

अपराध संख्या–120 / 2010,
धारा–135 विद्युत अधिनियम,
थाना–मूढांपाण्डे, जिला मुरादाबाद।

निर्णय

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–109 / 2010 में पुलिस थाना मूढांपाण्डे, जिला मुरादाबाद द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–120 / 2010 में अभियुक्त कुलदीप सिंह के विरूद्व आरोप पत्र अर्न्तगत धारा–135 विद्युत अधिनियम, विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस पर सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा सरताज अहमद खां अवर अभियन्ता, सब स्टेशन दलपतपुर द्वारा थाना मूढांपाण्डे, जिला मुरादाबाद में तहरीर इस आशय की दी गयी कि शिकायत प्राप्त होने पर कि ग्राम जगरमपुरा में श्री कंचन सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह के नलकूप के कटे हुए कनेक्शन को सीधे अवैध रूप से ट्रांसफार्मर से केबिल जोड़कर विद्युत चोरी कर चलाया जा रहा है। इस सूचना पर वह एवं लाईनमैन जसवन्त सिंह, सब स्टेशन दलपतपुर थाना मूढांपाण्डे, राजन त्यागी निरीक्षक, कां0 संजय कुमार, कां0 जितेन्द्र सिंह, कां0 जसवीर सिंह व कां0 मौ0 अली, गुले हैदर जैदी, प्रवर्तन दल, उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 मुरादाबाद के दिनांक 12–03–2010 को समय करीब 12.30 दिन कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह, निवासी ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे मुरादाबाद के डेरे पर पहुंचे व विद्युत कनेक्शन नलकूप को चैक किया गया तो पाया कि उक्त नलकूप का कनेक्शन कंचन सिंह उपरोक्त के नाम से है तथा उक्त डेरे में वर्तमान में कुलदीप सिंह पुत्र श्री कृपासिंह निवास कर रहे हैं। उक्त कटे हुए विद्युत संयोजन नलकूप को जो दिनांक 08–03–2010 को विद्युत बिल बकाया मु0 34,722 / –पर विच्छेदित किया गया था, को उक्त कुलदीप सिंह पुत्र सरदार कृपा सिंह, निवासी जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे, मुरादाबाद ने नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से केबिल तीन कोर काला से मोटर व स्टार्टर से जोडकर विद्युत चोरी कर नलकूप चला रहे है। कुलदीप सिंह का यह कार्य धारा–135 भा0 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध

है। अतः ट्रांसफार्मर से सुविधानुसार करीब 16 मीटर केबिल काला तीन कोर को उतरवाकर कब्जे में लेकर एक कपडे में रखकर सीलकर सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया। अनुरोध है कि कुलदीप के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त आशय की तहरीर के आधार पर दिनांक 12–03–2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–135 विद्युत अधिनियम में थाना मूढांपाण्ड पर पंजीकृत हुई, जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया।

4. विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त कुलदीप सिंह के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 22–07–2014 को अभियुक्त कुलदीप सिंह के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और अपना विचारण चाहा।

6. उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्न मौखिक साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

क0 सं0	**अभियोजन साक्षी**	**साक्षी सं0**
1.	सरताज अहमद	पी0डब्ल्यू0–1
2.	लाइनमैन जसवन्त सिंह	पी0डबल्यू0–2
3.	हे0कां0 घनश्याम राठी	पी0डब्ल्यू0–3
4.	सेवा निवतृत्त उप निरीक्षक गुलहैदर ज़ैदी	पी0डब्ल्यू0–4

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय में साबित कराये गये हैं–

क0 सं0	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श सं0	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1.	चैकिंग रिपोर्ट	क–1	सरताज अहमद, अवर अभियन्ता,
2.	तहरीर	क–2	सरताज अहमद, अवर अभियन्ता,
3.	चिक एफ0 आई0 आर0	क–2ए	हे0कां0 घनश्याम राठी
4.	जी0डी0 कायमी मुकदमा	क–3	हे0कां0 घनश्याम राठी
5.	नक्शा नजरी	क–4	हे0कां0 घनश्याम राठी
6.	गिरफ्तारी सूचना मीमो	क–5	हे0कां0 घनश्याम राठी
7.	गिरफ्तारी सूचना मीमो	क–6	हे0कां0 घनश्याम राठी
8.	आरोप पत्र	क–7	हे0कां0 घनश्याम राठी

8. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक गलत होने, साक्षीगण द्वारा गलत गवाही दिये जाने व रंजिशन गवाही दिये जाने तथा मुकदमा रंजिश चलने का कथन किया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य में सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन किया गया है ।

9. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि बिजली कनेक्शन नं0–2705/052594 बिल अंकन 34,722/– रूपये जमा न करने के आधार पर काट दिया था, किन्तु दिनांक 12–03–2010 को समय 12.30 बजे उक्त कनेक्शन को जे0ई0 सरताज अहमद खान व उसके साथियों द्वारा चैक किया गया तो उक्त कटा कनेक्शन अवैध रूप से जुड़ा हुआ पाया और 7.5 हॉर्स पॉवर की बिजली मोटर से नलकूप चलाते हुए पाये गये, जिससे विद्युत विभाग को क्षति हुई एवं जन सामान्य को असुविधा हुई। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप साबित हैं।

11. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कतई कोई आरोप साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा कोई विद्युत चोरी नहीं की गयी है, न ही उससे कोई बरामदगी हुई है। अभियुक्त के विद्युत संयोजन का एकाउण्ट नम्बर 6937926000 है, जिसके बिल का भुगतान अभियुक्त द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है और जिस विद्युत संयोजन संख्या 2705/052594 के सम्बन्ध अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग पंजीकृत कराया गया है, वह कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह के नाम था। इस प्रकार विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप स्थापित नहीं माना जा सकता।

12. प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

13. पी0डब्ल्यू0–1 सरताज अहमद द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 12–03–2010 को वह जे0ई0 के पद पर दलपत पुर में तैनात था। समय करीब साढे 12.30 बजे दिन उसी दिन कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे मुरादाबाद के डेरे पर नलकूप के कटे हुए कनेक्शन से सीधे अवैध रूप से ट्रांसफार्मर से केबिल जोड़कर विद्युत चोरी की सूचना पर वह स्वयं व लाईनमैन जसवन्त सिंह, हैदर जैदी प्रवर्तन दल से व अन्य लोग पहुंचे थे। रंजीत सिंह, जिसके पुत्र

का नाम कंचन सिंह था, विद्युत कनेक्शन नलकूप को चैक किया गया तो पाया कि उक्त नलकूप कनेक्शन कंचन सिंह के नाम से है, किन्तु डेरे में वर्तमान में मौके पर कुलदीप सिंह पुत्र कृपा सिंह निवास कर रहे हैं। उक्त कटे हुए विद्युत संयोजन, जो कि दिनांक 08–03–2010 को विद्युत बिल बकाया 34,722 रूपये पर विच्छेदित किया गया था, उसको कुलदीप सिंह पुत्र सरदार कृपा सिंह निवासी जगरमपुरा में नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से तीन कोर केबिल से मोटर व स्टार्टर जोड़कर विद्युत चोरी कर नलकूप चला रहे थे। सुविधा अनुसार करीब 16 मीटर केबिल काला उतरवाकर कब्जे में लेकर एक कपडे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया था। मौके पर ही चैकिंग रिपोर्ट बनायी गयी, जिसमें कुलदीप सिंह द्वारा कुल 7.5 एच0पी0 की विद्युत चोरी की जा रही थी। मौके पर ही कुलदीप सिंह से चैकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। मौके पर भरी गयी चैकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर अन्य स्टाफ के भी हस्ताक्षर हैं। इस विद्युत चोरी से सम्बन्धित तहरीर उसके द्वारा थाना मूढांपाण्डे पर दी गयी थी। जिस पर उसके भी हस्ताक्षर हैं, जिसके लेखक राजेन्द्र त्यागी निरीक्षक प्रवर्तन दल मुरादाबाद थे। तहरीर के साथ मूल चैकिंग रिपोर्ट व जब्त किया गया 16 मीटर केबिल थाने पर मुकदमा पंजीकृत हेतु दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसके बयान लिये थे।

14. पी0डब्ल्यू0–2 लाईनमैंन जसवन्त सिंह द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 12–03–2010 को वह लाईनमैंन के पद पर तैनात था। उस दिन करीब साढ़े 12 बजे दिन वह चैकिंग करने के लिए ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे कंचन सिंह के डेरे पर पहुंचे थे। जहां विद्युत कनेक्शन नलकूप को चैक किया गया तो पाया कि नलकूप का कनेक्शन कंचन सिंह के नाम से था। तथा उक्त डेरे में चैकिंग के समय कुलदीप सिंह निवास कर रहे थे। उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 08–03–2010 को विद्युत बिल बकाया 34,722/– पर विच्छेदित कर दिया गया था, जिसको कुलदीप सिंह द्वारा नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से केबिल तीन कोर काला को मोटर व स्टार्टर से जोड़कर विद्युत चोरी कर नलकूप चला रहे थे। सुविधा अनुसार करीब 16 मीटर केबिल उतरवाकर कब्जे में लेकर एक कपड़े में सील किया गया था तथा चैकिंग रिपोर्ट मौके पर वादी मुकदमा सरताज अहमद खां अवर अभियन्ता द्वारा तैयार की गयी थी, जिस पर उसके भी हस्ताक्षर कराये गये थे, जो पत्रावली पर कागज सं0–5क/2 के रूप में संलग्न है। इसपर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। उपरोक्त चैकिंग रिपोर्ट पर अभियुक्त से हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, किन्तु वह पहले ही भाग गया था। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर राजन त्यागी से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर मय माल पुलिन्दा थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु दिया था। इस सम्बन्ध में पुलिस ने पूछताछ की थी।

15. पी0डब्ल्यू0–3 मुख्य आरक्षी घनश्याम राठी द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 12–03–2010 को वह थाना मूढापाण्डे पर बतौर आरक्षी लेखक तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा सरताज अहमद अवर अभियन्ता विद्युत उपकेन्द्र दलपतपुर मुरादाबाद की तहरीर पर अपराध संख्या–120/2010 धारा–135 विद्युत अधिनियम विरूद्ध कुलदीप सिंह पुत्र सरदार कृपासिंह निवासी ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे के विरूद्ध पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा रोजनामचा आम जी0डी0 नं0 53 समय 18.40 बजे इसी तिथि को किया था। उसके द्वारा अंकित की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या–4क/1 के रूप में संलग्न है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। जी0डी0 पत्रावली पर कागज संख्या–5क/4 कार्बन प्रति के रूप में संलग्न है, जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा उसके बयान अंकित किये गये।

16. पी0 डब्ल्यू0–3 घनश्याम राठी ने दिनांक 08–06–2026 को पुनः सशपथ कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमे के विवेचक एस0आई0 विजेन्द्र सिंह की मृत्यु थाने की आख्या अनुसार दिनांक 30–03–2023 को हो चुकी है, जिसके कारण उसे एस0 आई0 विजेन्द्र सिंह द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र साबित करने हेतु तलब किया गया है। उसके थाना मूढांपाण्डे पर तैनाती के दौरान थाना मूढापाण्डे पर ही एस0 आई0 विजेन्द्र सिंह तैनात रहे थे। उसने उनको लिखते पढ़ते हस्ताक्षर करते देखा है। उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भलीभॉति जानता पहचानता हैं। एस0 आई0 विजेन्द्र सिंह थाना हाजा पर पंजीकृत अपराध संख्या–120/2010 अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम बनाम कुलदीप सिंह की विवेचना एस0आई0 विजेन्द्र सिंह ने की थी। पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–5क/1 मूल नक्शा नजरी तथा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–7ख/5 अभियुक्त कुलदीप सिंह का मूल गिरफतारी सूचना प्रपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–7ख/6 अभियुक्त कुलदीप सिंह का मूल गिरफतारी प्रपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–3क/1 इस मुकदमें से सम्बन्धित मूल आरोप पत्र संख्या–86/2010 दिनांक 22–03–2010 उपरोक्त सभी प्रपत्र एस0आई0 विजेन्द्र सिंह के हस्तलेख में व दस्तखती हैं तस्दीक किया है। उपरोक्त नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–4, गिरफतारी सूचना मीमों पर प्रदर्श क–5, गिरफतारी मीमों पर प्रदर्श क–6, तथा आरोप पत्र पर प्रदर्श क–7 डाला गया ।

17. पी0 डब्ल्यू0–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक गुल हैदर जैदी द्वारा सशपथ बयान किया गया है कि दिनांक 12–03–2010 को वह कां0 के पद पर प्रवर्तन दल उ0प्र0 पावर कॉपोरेशन लि0 में तैनात था। उस दिन करीब साढे 12 बजे दिन वह व प्रवर्तन दल के अन्य सदस्य व विद्युत विभाग के कर्मचारी चैकिंग करने के लिए ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे कंचन सिंह के डेरे पर पहुंचे थे। जहां विद्युत कनेक्शन नलकूप को चैक किया गया तो पाया कि नलकूप का कनेक्शन कंचन सिंह के नाम से था तथा उक्त डेरे में चैकिंग के समय कुलदीप सिंह निवास कर रहे थे। उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक

08–03–2010 को विद्युत बिल बकाया 34,722/–पर विच्छेदित कर दिया गया था। उक्त नलकूप का कनेक्शन कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह के नाम था, जिसको कुलदीप सिंह द्वारा नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से केबिल तीन कोर काला को मोटर व स्टार्टर से जोड़कर विद्युत चोरी कर नलकूप चला रहे थे। अवर अभियन्ता द्वारा सुविधा अनुसार करीब 16 मीटर केबिल लाईनमैन से उतरवाकर कब्जे में लेकर एक कपडे में सील किया गया था तथा चैकिंग रिपोर्ट मौके पर वादी मुकदमा सरताज अहमद खां अवर अभियन्ता द्वारा तैयार की गयी थी, जो पत्रावली पर कागज संख्या–5क/2 के रूप में संलग्न है, जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। उपरोक्त चैकिंग रिपोर्ट पर अभियुक्त से हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, किन्तु वह मौके से भाग गया था। वादी मुकदमा द्वारा तहरीर राजन त्यागी से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर मय माल पुलिन्दा थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु दी थी और पूछताछ कर विवेचक द्वारा उसके बयान अंकित किये थे।

18. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तार से बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

19. उपरोक्त के सन्दर्भ में सर्व प्रथम अभियोजन द्वारा पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा सरताज अहमद अवर अभियन्ता, द्वारा पंजीकृत करायी गयी है, कि शिकायत प्राप्त होने पर कि ग्राम जगरमपुरा में श्री कंचन सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह के नलकूप के कटे हुए कनेक्शन को सीधे अवैध रूप से ट्रांसफार्मर से केबिल जोडकर विद्युत चोरी कर चलाया जा रहा है। इस सूचना पर वह अवर अभियन्ता सरताज अहमद खां व लाईनमैन जसवन्त सिंह, सब स्टेशन दलपतपुर थाना मूढांपाण्डे व राजन त्यागी निरीक्षक, कां0 संजय कुमार, कां0 जितेन्द्र सिंह, कां0 जसवीर सिंह व कां0 मौ0 अली, गुले हैदर जैदी, प्रवर्तन दल, उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 मुरादाबाद के दिनांक 12–03–2010 को समय करीब 12.30, दिन कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह, नि0 ग्राम जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे मुरादाबाद के डेरे पर पहुंचे व विद्युत कनेक्शन नलकूप को चैक किया गया तो पाया कि उक्त नलकूप का कनेक्शन कंचन सिंह उपरोक्त के नाम से है तथा उक्त डेरे में वर्तमान में कुलदीप सिंह पुत्र श्री कृपासिंह निवास कर रहे हैं। उक्त कटे हुए विद्युत संयोजन नलकूप को जो दिनांक 08–03–2010 को विद्युत बिल वकाया मु0 34,722/–पर विच्छेदित किया गया था, को उक्त कुलदीप सिंह पुत्र सरदार कृपा सिंह, निवासी जगरमपुरा थाना मूढांपाण्डे, मुरादाबाद ने नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से केबिल तीन कोर काला से मोटर व स्टार्टर से जोडकर विद्युत चोरी कर नलकूप चला रहे है। कुलदीप सिंह का यह कार्य धारा–135 भा0 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है। अतः ट्रांसफार्मर से सुविधानुसार करीब 16 मीटर केबिल काला तीन को उतरवाकर कब्जे में लेकर एक कपडे में रखकर सीलकर सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया

गया।

20. इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा सरताज अहमद को पी0 डब्ल्यू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि इस घटना के सम्बन्ध में सूचना उच्च अधिकारियों को किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी थी और उन उच्चाधिकारियों ने उन्हें व प्रवर्तन दल को निर्देश देकर चैकिंग हेतु आदेशित किया था सूचना देने वाले का नाम न उसे बताया गया था और न ही उसे पता। उच्च अधिकारियों द्वारा दिनांक 12–03–2010 को आदेशित किया गया था। चैकिंग करने हेतु वह विजिलेंस के साथ उसी दिन ग्यारह व सवा ग्यारह बजे निकले थे। चैकिंग हेतु आदेश मौखिक रूप से मिला था। उच्चाधिकारी का नाम विजिलेंस टीम को पता है, उसे ज्ञात नहीं। यह कहना सही है कि मौखिक आदेश पर ही चैकिंग करने चले गये थे कोई लिखित आदेश नहीं था। मौके पर वह व टीम पौने बारह बजे लगभग पहुंच गये थे चैकिंग में उसके साथ राजेन्द्र त्यागी लाईनमैंन जसवन्त सिंह व चार पांच लोग पुलिस फोर्स से थे। उनके नाम उसे पता नहीं। घटना स्थल पर पहुंचने पर विद्युत कनेक्शन रंजीत सिंह के पुत्र कंचन सिंह के नाम से था। कंचन सिह का कनेक्शन दिनांक 08–03–2010 को विद्युत बिल वकाया पर काट दिया था। उक्त कनेक्शन से नलकूप के पास लगे ट्रांसफार्मर से अवैध रूप से केबिल डालकर विद्युत चोरी की जा रही थी। पुलिस को देखकर कंचन सिंह डेरे पर से हट गये थे, हटने वाले व्यक्तियों का नाम पता उसे याद नहीं है। डेरे पर कुलदीप सिंह थे जो बाद में चले गये। मौके पर प्रयोगकर्ता कुलदीप सिंह चैकिंग रिपोर्ट पर साईन करने से पहले चला गया था। मौके पर उसने 16 मीटर केबिल जब्त किया था। जो कि उसने तहरीर के साथ थाने पर जमा कर दिया था। ट्रांसफार्मर से मोटर तक की दूरी 16–17 मीटर होगी। दलपतपुर से डेरा उर्फ घटनास्थल तक पहुंचने में आधा घन्टा लग गया था। घटना स्थल डेरे के आस पास किस किस के डेरे/खेत हैं, उसे जानकारी नहीं है। प्रयोगकर्ता के रूप में कुलदीप सिंह अवैध रूप से विद्युत प्रयोग कर रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों ने बतायी थी। बुलाने वाले लोगों के नाम की जानकारी नहीं है।

21. इस सम्बन्ध में चैकिंग दल में शामिल पी0 डब्ल्यू0–2 लाइनमैन जसवन्त सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि पुलिस ने उसी समय उसका बयान लिया था। समय का उसे ध्यान नहीं है। पुलिस बिजली घर पर थी। उसका बयान चैकिंग के दो– तीन घंटे बाद लिया था। चैकिंग के समय अभियुक्त कुलदीप मौके पर नहीं था। अभियुक्त मौके पर नहीं मिला। विद्युत विभाग के अभिलेखों में कनेक्शन कंचन सिंह के नाम था। उसे कंचन सिंह के बाप का नाम याद नहीं है। उसने कंचन सिंह को बलाया था या नहीं, अब उसे याद नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जे0 ई0 सरताज अहमद खॉ ने कंचन सिंह से पूछताछ की थी या नहीं। वह कभी कुलदीप सिंह के घर नहीं गया। उसे तो कुलदीप के नाम का पता नहीं था, जो साथ में लोग थे, उन्हें पता होगा। उसे कुलदीप के बाप का नाम नहीं पता। चैकिंग टीम ने ही

उसे कुलदीप का नाम बताया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त कुलदीप मौके पर नहीं था और न ही उसके द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी में प्रयोग किये जा रहे कोई विद्युत का केबिल आदि बरामद हुआ था। यह कहना सही है कि कुलदीप के नाम कोई विद्युत कनेक्शन उस समय नहीं था।

22. पी0 डब्ल्यू0–3 हे0कां0 घनश्याम राठी द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह मूल जी0डी0 नहीं लाया है, और न ही उसके सामने जी0डी0 है। वादी उसके पास 18.40 पर आया था। उसने तहरीर सीधे उसे दी थी। वह यह नहीं कह सकता कि तहरीर देने से पूर्व वादी किसी थाने के अधिकारी से मिला हो। उसके पास सीधे आया था, तहरीर लेकर उसने मुकदमा कायम किया था। तहरीर के आधार पर एफ0आई0आर0 लिखने में 10–15 मिनट का समय लगा होगा। उसके बाद वादी चला गया। उसे नहीं पता, कहां गया। उसने चिक काटने के बाद थाना प्रभारी को दिखायी थी, चिक काटने से पहले थाना प्रभारी से उसकी कोई बात नहीं हुई। वादी ने तहरीर उसके सामने नहीं लिखी थी। वह लिखकर लाया था।

23. आगे अपनी पुनः प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी पी0 डब्ल्यू0–3 मुख्य आरक्षी घनश्याम राठी द्वारा कथन किया गया है कि एस0आई0 विजेन्द्र सिंह द्वारा जितने प्रपत्र जिन पर प्रदर्श डाले गये हैं, उसके सामने लिखे गये हैं। उक्त प्रपत्र जिन पर प्रदर्श डाले गये हैं, थाने में बैठकर लिखे थे। उसने केवल हस्तलेख व हस्ताक्षर देखकर पहचान की है कि कब और किस समय लिखे थे, यह नहीं बता सकता। उनकी तैनाती थाना मूढांपाण्डे उसके साथ रही है और उसने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है, इसलिए वह उनके द्वारा लिखे गये प्रपत्रों को उनके द्वारा लिखे जाना बता रहा हैं। यह उसके साथ कहीं पढ़े लिखे नहीं थे। केवल थाने में उसके साथ तैनाती के दौरान उसने इनको लिखते पढ़ते देखा था। उसके साथ इनकी किसी अन्य जिले व जगह में तैनाती नहीं रही है। एस0आई0विजेन्द्र सिंह उससे सीनियर थे और उससे ऊंचे पद पर तैनात थे। यह कहना गलत है कि सीनियर होने के नाते वह उनकी कारगुजारी को सही साबित करने के लिए अदालत में गलत बयान कर रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह केवल थाने में सिपाही/क्लर्क था और उसका काम केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना था, जबकि एस0आई0 विजेन्द्र सिंह का काम प्रशासनिक व्यवस्था देखना और विवेचना आदि करना था, इसलिए वे विवेचना घटना स्थल थाने पर और किसी अन्य स्थान पर लिखा पढी करते थे इसलिए उसने उन्हें करीब से लिखते पढ़ते नहीं देखा है। विवेचना एस0आई0 विजेन्द्र सिंह ने उसी दिन शुरू कर दी थी, रात को 19.45 बजे उन्होंने विवेचना करना शुरू कर दिया था। पहला पर्चा उसके सामने काटा था और काटकर उसे दिखाया था। असखुद कहा कि उसके बयान भी उसी दिन लिये थे। जो 20.00 बजे के बाद लिये गये थे। उससे उसके दस्तखत नहीं कराये थे। बयान केस डायरी में लिखे थे। उसे नहीं पता कि उसके बयानों में क्या लिखा था। यह कहना गलत है कि उन्होंने उससे कोई पूछताछ नहीं की हो अपनी मर्जी से उसका व अन्य

गवाहों का बयान लिख दिया था। यह साक्षी मात्र औपचारिक गवाह है और इसने अपने द्वारा तैयार किये गये अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया है। इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

24. इसी प्रकार चैकिंग दल में शामिल पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक गुल हैदर जैदी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि वह वर्ष 2000 से 2012 तक प्रवर्तन दल में तैनात रहा था। वह जगरमपुरा चैकिंग के समय गया था। जब तक लिखा पढ़ी हुई तब तक कुलदीप वहीं पर मौजूद था। लगभग एक घन्टे से अधिक का समय लिखा पढ़ी करने में लगा होगा, तब कुलदीप वहीं मौजूद था। असखुद कहा कि 16 साल पुरानी बात है, निश्चित समय नहीं बता सकता। प्रवर्तन दल में 04 लोग पुलिस से थे व एक इन्सपेटर थे। विद्युत विभाग से सरताज खां व जसवन्त सिंह थे। ट्रांसफार्मर से विद्युत कनेक्शन सीधे कंचन सिंह के नलकूप कनेक्शन पर लगा था, ऐसा जे0ई0साहब ने बताया था। नलकूप कनेक्शन से विद्युत तार लाईनमैन व जे0ई साहब ने हटाया था। अवैध रूप से विद्युत तार लगा हुआ काटा था। कुलदीप के कब्जे से बरामद नहीं हुआ था। वह कंचन सिंह को नहीं जानता है वह मौजूद थे या नहीं, उसे नहीं पता। सरताज साहब ने कंचन सिंह का बयान लिया था या नहीं। कुलदीप सिंह से जब चैकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो वह वहां से भाग गये थे। प्रयास तो करते है, लेकिन वह भाग गये थे। लिखा पढ़ी पुलिस वालों ने नहीं की थी जे0ई0 साहब ने की थी। घटना स्थल पर लगभग प्रर्वतन दल की टीम लगभग एक–डेढ घन्टा रही। उसके बाद चैकिंग करते हुए थाने पहुंचे थे। अब याद नहीं है कि कहां कहां चैकिंग की थी। पश्चिम दिशा में संतोष का खेत था। पूरव में कुलदीप सिंह का चक था। उत्तर में किसका खेत था, इस समय ध्यान नहीं है। आवादी से खेत लगभग एक–डेढ कि0मी0 दूर था। दरोगा जी ने उसका बयान कब लिया था, समय याद नहीं है। बयान प्रवर्तन कार्यालय में लिया था। एफ0आई0आर0 दर्ज कराते समय वह मौजूद था। एफ0आई0आर पर साईन नहीं हैं। फर्द व चैकिंग रिपोर्ट पर साईन थे। सरताज अहमद खां विद्युत विभाग से थे, इसलिए वह नहीं बता सकता कि वह उससे सीनियर थे या नहीं। तहरीर सरताज अहमद खां ने लिखी थी। तहरीर पर उसके साईन होने चाहिए थे, क्योंकि वह उनके साथ में था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि तहरीर पर और किस के हस्ताक्षर थे। असखुद कहा कि हम लोगों के साईन नहीं कराये थे इन्सपेक्टर राजन त्यागी के साईन थे। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं था। यह कहना भी गलत है कि उसके न होने के कारण ही चैंकिग रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर न हो। यह कहना भी गलत है कि तहरीर सरताज अहमद ने न लिखी हो। अब उसे याद नहीं है कि वह विवेचना में घटना स्थल पर विवेचक के साथ था या नहीं। यह कहना गलत है कि राजन त्यागी उसके वरिष्ठ हों और उनकी कारगुजारी को छुपाने के लिए गलत बयानी कर रहा है। असखुद कहा कि तहरीर सरताज अहमद खां ने इन्सपेक्टर राजन त्यागी से लिखवायी थी।

25. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 सरताज अहमद, अवर अभियन्ता/वादी मुकदमा, पी0 डब्ल्यू0–2 लाइनमैन जसवनत सिंह एवं पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक गुल हैदर ज़ैदी के साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांकित 12–03–2010 समय करीब 12.30 बजे दिन के बावत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12–03–2010 को समय 16.40 बजे पंजीकृत करायी गयी, जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 8 किलामीटर होना बतायी गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त साक्षीगण चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

26. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से नक्शा नजरी कागज संख्या–5क/1, प्रदर्श क–4 है। उक्त नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 में अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र कृपा सिंह के खेत में ट्रांसफार्मर लगा होना दर्शित किया गया है। ट्रांसफार्मर वाले खेत के दक्षिण में अभियुक्त कुलदीप सिंह का बागीचा, बगीचे के पूरव में अभियुक्त कुलदीप सिंह का मसूर का खेत, तथा ट्रांसफार्मर वाले खेत के पूरव में अभियुक्त कुलदीप सिंह को घर होना प्रदर्शित किया गया है। अभियुक्त कुलदीप सिंह के घर तथा अभियुक्त कुलदीप सिंह के मसूर के खेत में बीच में स्थित, विवादित स्थल, जहॉ पर अवैध रूप से तार जोड़कर 7.5 हॉर्स पॉवर की बिजली की मोटर से नलकूप चलाना बताया गया है, वह स्थान किसका था, इस सम्बन्ध में नक्शा नजरी में कोई उल्लेख अंकित नहीं किया गया है, जबकि चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–1 तथा प्रदर्श क–2 में उक्त स्थान को कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह का होना प्रदर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 में घटना स्थल के वास्तविक स्वामी का नाम विवेचक द्वारा क्यों अंकित नहीं किया गया, यह अभियोजन कथानक को सन्देहास्पद बनाता है।

26.1 इसके अतिरिक्त नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 में विवादित स्थल के उत्तर में अभियुक्त कुलदीप सिंह का घर बना होना प्रदर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त कुलदीप सिंह का घर विवादित स्थल के पास ही बना होना नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 में प्रदर्शित किया गया है, तब अभियुक्त विवादित स्थल में, अपना घर छोड़कर क्यों रह रहा था, इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। चैकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में उपभोक्ता का नाम के 'कॉलम में कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह' के नाम का उल्लेख किया गया है और उपयोगकर्ता के रूप में कुलदीप सिंह के नाम का उल्लेख किया गया है, किन्तु अभियोजन पक्ष इस तथ्य को सन्देह से परे साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्त कुलदीप सिंह का पृथक वैद्य विद्युत संयोजन होने के बावजूद उसके द्वारा कंचन सिंह के विच्छेदित किये हुये विद्युत संयोजन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली चोरी क्यों की जा रही थी।

26.2 इस सम्बन्ध में अभियुक्त कुलदीप सिंह की ओर से शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवादी से लगी हुयी उसकी समस्त आराजी काश्त है,

जिसमें उसका टयूबबैल कनेक्शन है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। काफी समय पूर्व से उसके नाम अपना टयूबबैल कनेक्शन है। वह विधिवत अपने टयूबबैल कनेक्शन का बिल व अन्य देय विद्युत विभाग को अदा करता चला आ रहा है। उसको सिज विद्युत कनेक्शन से चोरी करते बताया जाता है, वह उसकी आराजी काश्त से काफी दूर है। शपथ पत्र 42बी के साथ छाया प्रति पेयमेंट रसीद 42बी/3, तथा उ0प्र0 कृषक विद्युत बिल माफी योजना पंजीकरण पत्र 42बी/4 की छाया प्रति दाखिल की गयी है। यदि कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह के केबिल में कट लगाकर अभियुक्त द्वारा बिजली चोरी की जा रही होती, तो अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों अथवा विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिया जाना चाहिये था अथवा कोई शिकायत उसकी ओर से की जानी चाहिये थी, किन्तु कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह द्वारा ऐसा न किये जाने से एवं पुलिस प्रवर्तन दल द्वारा कंचन सिंह के विरूद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने से यही परिकल्पना की जा सकती है कि अभियुक्त द्वारा कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह के केबिल में कट लगाकर कोई बिजली चोरी नहीं की जा रही थी और विद्युत विभाग द्वारा सारी कार्यवाही फर्जी रूप से करते हुये उसको अभियुक्त बनाया गया है।

27. प्रस्तुत मामले में जहां तक अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पी0डब्ल्यू0–1 सरताज अहमद/वादी मुकदमा, पी0 डब्ल्यू–2 जसवन्त सिंह लाइनमैन एवं पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक गुल हैदर ज़ैदी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार घटना कारित की गयी, क्योंकि उपरोक्त साक्षीगण द्वारा घटना कारित करते समय अभियुक्त को नहीं देखा गया।

28. **धारा 135 (3) विद्युत अधिनियम, 2003** यह प्रावधान करती है कि–

तलाशी के स्थान का अधिभोगी या उसकी ओर से कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान उपस्थित रहेगा और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहीत सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी और ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो सूची पर हस्ताक्षर करेगाः

परन्तु यह कि किन्हीं घरेलू स्थानों या घरेलू परिसरों का निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सूर्यास्त और सूर्यादय के बीच तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परिसर का कोई अधिभोगी वयस्क पुरूष उपस्थित न हो।

29. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि कथित परिसर की तलाशी के दौरान कौन– कौन व्यक्ति उपस्थित थे। चैकिंग रिपोर्ट कागज संख्या– 5क/2, प्रदर्श क–1 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि उपरोक्त संयोजन बकाया रूपये 34,722/– पर कटा है। कटे कनेक्शन को इस प्रकार चोरी से जोड़कर चलाना वि0 अधि0 की धारा 135 का दण्डनीय अपराध है। ट्रांसफार्मर से सुविधानुसार 16 मीटर तीन कोर काला केबिल कब्जे में लेकर एक कपड़े

में रखकर सील सर्वे कर नमूना मोहर बनाया गया। कुलदीप सिंह उपरोक्त के विरूद्ध थाना मुण्डापाण्डे पर अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। कुलदीप मौके से शमन का बहाना करके चला गया। अतः उपरोक्त चैकिंग रिपोर्ट पर न तो अभियुक्त कुलदीप सिंह के हस्ताक्षर कराये गये और न ही कंचन सिंह की उपस्थिति में चैकिंग की गयी।

29.1 यहॉ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जिस उपभोक्ता कंचन सिंह के विच्छेदित किये हुये संयोजन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली चोरी किया जाना बताया गया है, उस कंचन सिंह को अभियोजन की ओर से न तो अभियुक्त बनाया गया और न ही साक्षी बनाया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा धारा 135 (3) विद्युत अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन नहीं किया गया और अधिभोगी वयस्क पुरूष की गैर मौजूदगी में चैकिंग की कार्यवाही की गयी, जो सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

न्यायालय द्वारा कंचन सिंह पुत्र रंजीत सिंह को साक्ष्य हेतु दिनांक 10–06–2026 को तलब किया गया, किन्तु कंचन सिंह उपरोक्त की मृत्यु होने के सम्बन्ध में आख्या दिनांक 12–06–2026 को प्राप्त हुई, जिस कारण उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका।

30. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है कि–

1. कथित विद्युत लाइन के उपभोक्ता कंचन सिंह द्वारा अपने संयोजन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली चोरी किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत न किया जाना तथा इस सन्दर्भ में अभियोजन द्वारा किसी भी चक्षुदर्शी जनसाक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

2. कथित अभियुक्त के काटे गये केबिल को समक्ष न्यायालय पेश न किया जाना, जबकि 16 मीटर तीर कोर काला केबिल कब्जे में लिये जाने का उल्लेख चैकिंग रिपोर्ट में किया गया है।

3. नक्शा नजरी कागज संख्या– 5क/1, प्रदर्श क–4 में दर्शित किये गये घटना स्थल के मकान मालिक के नाम का उल्लेख न किया जाना और न ही उसको साक्षी बनाया जाना।

4. दिनांक 12–03–2010 शाम 12.30 बजे की घटना के बावत दिनांक 12–03–2010 को समय 18.40 बजे विलम्ब से अभियोग पंजीकृत कराया जाना, जबकि थाने से घटना की स्थल की दूरी मात्र 8 किलोमीटर होना अंकित किया गया है और विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण न दिया जाना आदि ऐसे तथ्य हैं, जो अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. अभियोजन की ओर से ऐसे किसी भी चक्षुदर्शी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसने अभियुक्त को कंचन सिंह के विच्छेदित किये गये संयोजन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली की चोरी की घटना को कारित करते हुये देखा हो।

इस प्रकार अभियुक्त को उक्त घटना कारित करते हुये किसी चक्षुदर्शी जनसाक्षी द्वारा न देखा जाना, अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देता है, जिसका लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

31. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0–1 सरताज अहमद, अवर अभियन्ता/वादी मुकदमा, 2 जसवन्त सिंह लाईनमैन एवं पी0 डब्ल्यू0–4 सेवा निवृत्त उप निरीक्षक गुल हैदर ज़ैदी द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। ऐसे में अभियोजन कथानक अनुसार घटना कारित किया जाना साबित नहीं माना जा सकता है। अतः अभियुक्त कुलदीप सिंह को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

32. इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप सिंह के विरूद्व लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त कुलदीप सिंह दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–109/2010 में अभियुक्त कुलदीप सिंह को आरोप अन्तर्गत धारा– 135 विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त कुलदीप सिंह जमानत पर हैं, उसके जमानतनामें निरस्त कर प्रतिभूगण को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा–437ए दण्ड प्रकिया संहिता के प्रतिभूति अग्रिम छः माह तक प्रवृत्त रहेगें।

दिनांक 30–06–2026

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 30–06–2026

(अंचल लवानियाँ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–04, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.07.03 16:34:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court